न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–71/2015 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. श्यामलाल सोमवंशी पुत्र श्री रूपसिंह सोमवंशी जाति सोमवंशी निवासी ग्राम लुहरवाडी चोरोटी तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।(मृतक)
2. श्रीमती सुशीलादेवी सोमवंशी धर्मपत्नि श्री श्यामलाल सोमवंशी जाति सोमवंशी निवासी ग्राम लुहरवाडी चोरोटी तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
3. संजय कुमार सोमवंशी पुत्र श्री श्यामलाल सोमवंशी जाति सोमवंशी निवासी ग्राम लुहरवाडी चोरोटी तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
4. दीपक कुमार सोमवंशी पुत्र श्री श्यामलाल सोमवंशी जाति सोमवंशी निवासी ग्राम लुहरवाडी चोरोटी तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
5. श्रीमती बबली धर्मपत्नि श्री महेश धानावत पुत्री श्री श्यामलाल सोमवंशी जाति सोमवंशी निवासी ग्राम लुहरवाडी चोरोटी तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
6. मन्जू पुत्री श्री श्यामलाल सोमवंशी जाति सोमवंशी निवासी ग्राम लुहरवाडी चोरोटी तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

..... अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती सपना बेवाह स्व0 श्री मनीष कुमार सोमवंशी पुत्री श्री लक्ष्मणसिंह सोमवंशी जाति कलाल निवासी ग्राम लुहरवाडी चोरोटी तहसील रामगढ जिला अलवर हाल निवासी पूनिया की बगीची, मौहल्ला चाहपप्पू केडलगंज, अलवर राज0।
2. बेबी नन्दिनी पुत्री स्व0 श्री मनीष कुमार सोमवंशी पुत्री श्री लक्ष्मणसिंह सोमवंशी जाति कलाल निवासी ग्राम लुहरवाडी चोरोटी तहसील रामगढ जिला अलवर हाल निवासी पूनिया की बगीची, मौहल्ला चाहपप्पू केडलगंज, अलवर राज0।
3. मास्टर प्रतीक पुत्र स्व0 श्री मनीष कुमार सोमवंशी पुत्री श्री लक्ष्मणसिंह सोमवंशी जाति कलाल निवासी ग्राम लुहरवाडी चोरोटी तहसील रामगढ जिला अलवर हाल निवासी पूनिया की बगीची, मौहल्ला चाहपप्पू केडलगंज, अलवर राज0 नाबालिगान बसरपरस्ती श्रीमती सपना बेवाह स्व0 श्री मनीष कुमार सोमवंशी पुत्री श्री लक्ष्मणसिंह सोमवंशी जाति कलाल निवासी ग्राम लुहरवाडी चोरोटी तहसील रामगढ जिला अलवर हाल निवासी पूनिया की बगीची, मौहल्ला चाहपप्पू केडलगंज, अलवर राज0।

..... असल रेस्पो0

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

4. रोबडा पुत्र श्री चन्दूखां जाति मेव निवासी ग्राम लुहरवाडी चोरोटी तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
5. शेरमौहम्मद पुत्र श्री चन्दूखां जाति मेव निवासी ग्राम लुहरवाडी चोरोटी तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
6. घुटमल पुत्र श्री चन्दूखां जाति मेव निवासी ग्राम लुहरवाडी चोरोटी तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
7. रूस्तम पुत्र श्री चन्दूखां जाति मेव निवासी ग्राम लुहरवाडी चोरोटी तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।
8. शमी खां पुत्र श्री चन्दूखां जाति मेव निवासी ग्राम लुहरवाडी चोरोटी तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

..... तर0रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री जगदीश चन्द सतीजा, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री संजीव जैन, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–29.11.2019

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय दिनांक 31.07.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/असल रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नंबर 602 रकबा 0.33 है0, 603 रकबा 0.59 है0, 605 रकबा 0.38 है0 कुल किता 3 रकबा 1.30 है0, खसरा नंबर 198 रकबा 0.28, 262 रकबा 0.19, 420 रकबा 0.30, 421 रकबा 0.09, 422 रकबा 0.14, 491 रकबा 0.83, 577 रकबा 0.31, 593 रकबा 0.20, 594 रकबा 0.14, 599 रकबा 0.59, 609 रकबा 0.33, 987 रकबा 0.16, 1033 रकबा 0.10, 1036 रकबा 0.03, 1037 रकबा 0.20 है0 कुल किता 15 रकबा 13.89है0, 442 रकबा 0.85 है0 व गैर खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 419 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम लुहरवाडी चोरोटी तहसील रामगढ जिला अलवर राज0 में स्थित है। उक्त विवादित आराजीयात की बाबत उसमें बमुताबिक सजरा वादी के हकूक खातेदारी है तथा वाद पत्र के साथ एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिसमें अपीलांट द्वारा जबावदावा व जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें वादीगण के द्वारा दर्शित तथ्यों को इंकार किया। प्रतिवादीगण/अपीलांट द्वारा जबावदेही इस आशय की दी गई कि विवादित आराजी वादीगण/रेस्पोडेण्टान की पैतृक संपत्ति नही है तथा अपीलांट संख्या 1 श्यामलाल की स्वअर्जित आराजी है।जिसमें करीब 8 बीघा जमीन बमुताबिक जबाव प्रार्थना पत्र के जरिये बयनामा तन्हा खरीदशुदा आराजी है। शेष आराजी भी मिन अपीलांट श्यामलाल की तन्हा कब्जा काश्तकारी खातेदारी की आराजी है, जो पैतृक आराजी नही है। जिस आराजी में

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

वादीगण/असल रेस्पो0 को कोई हक व अधिकार निहित नही होते हैं।श्रीमती सपना जो मिन अपीलांट श्यामलाल के पुत्र मनीष कुमार की पत्नी थी, अपीलांट के पुत्र मनीष का देहान्त हो चुका है और देहान्त के उपरांत मनीष कुमार की पत्नि घर छोडकर तथा मिन अपीलांट के पोतों को लेकर अपने पीहर चली गई, वहां रह रही है। विवादित आराजी में रेस्पोडेण्टान को ना तो कोई हक व अधिकार थे और ना ही सृजित हुये क्यों कि मिन अपीलांट श्यामलाल के हक व अधिकार विवादित आराजी में सृजित होने के तत्पश्चात मृतक मनीष कुमार की शादी हुई थी और तत्पश्चात ही बच्चे पैदा हुये थे। अपीलांट श्यामलाल द्वारा जिन दस्तावेज बयनामों से आराजी को खरीद किया गया था वो बयनामे तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये गये। तहत अदालत द्वारा वादीगण का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर दिनांक 31.07.2015 को गलत तौर पर निर्णय पारित किया है। जिस निर्णय दिनांक 31.07.2015 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि अपीलांट संख्या 1 उक्त विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार था ऐसी सूरत में कानूनी दृष्टि से खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश जारी कर आदेश से पाबंद किया जाना न्यायोचित नही था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्टान की ओर से विवादित आराजी के बयनामे की प्रति पेश की गई जिससे यह बखूबी साबित था कि विवादित आराजी जो करीब 8 बीघा है जो अपीलाण्टान की ओर से समय–समय पर खरीद की गई थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में उन दस्तावेज का उल्लेख नही किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य जो अपीलाण्टान की ओर से पेश किये गये थे, के संबंध में अपना कोई मत व्यक्त नही किया। इससे यह तथ्य स्वतः ही स्पष्ट एवं प्रमाणित था कि विवादित आराजी अपीलांट श्यामलाल की खरीदशुदा आराजी थी। तहत अदालत ने इस आधार पर निर्णय किया है कि विवादित आराजी स्वअर्जित श्यामलाल की नही थी। अपीलांट की ओर से यह साबित किया जा चुका था कि विवादित आराजी में अपीलांट संख्या 1 श्यामलाल के जीवित रहते हुये किसी अन्य व्यक्ति का हक व अधिकार नही हैं जिसमें वादीगण भी सम्मिलित है। अपीलांट की ओर से कानूनी नजीरें भी पेश की गई थी लेकिन इस संबंध में तहत अदालत ने अपना मत व्यक्त नही किया कि वो नजीरें इस प्रकरण में किस आधार पर लागू नही होती हैं। प्रस्तुत कानूनी नजीरें मिन अपीलांट के प्रकरण पर बखूबी चस्पा थी। अधीनस्थ न्यायालय का यह मत कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के विवाद का निर्धारण साक्ष्य के आधार पर किया जाना संभव है, यह मत कानून की दृष्टि से गलत है। क्योंकि प्रथम दृष्टया केस वादीगण/असल रेस्पो0 को साबित करना था और उन्हें ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत करनी चाहिये थी कि जिससे प्रथमदृष्टया विवादित आराजी पैतृक संपत्ति हो। मात्र वादीगण श्यामलाल अपीलांट के पुत्र की पत्नि एवं अपीलांट श्यामलाल के पौत्र होने के आधार पर यह उद्धारणा नही की जा सकती कि यह पैतृक संपत्ति है और उसमें

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

वादीगण को कोई हक व अधिकार सृजित होते हों। विवादित आराजी में अपीलांट संख्या 1 जो रिकार्डेड काबिज काश्तकार खातेदार है, जिसमें अधिकांश भूमि स्वअर्जित खरीदशुदा आराजी थी में किसी भी प्रकार के हक व अधिकार वादीगण/असल रेस्पो0 को सृजित नही होते हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया और तहत न्यायालय का आदेश निरस्त करने की इस्तदुआ की। उन्होंने अपने समर्थन में 2012(3) डी.एन.जे(राज0) 1196, ए.आई.आर 2014(एन.ओ.सी) 90(डी ई एल), ए.आई.आर 2016 पंजाब एंड हरियाणा 192 नजीर पेश की।

जवाब में अभिभाषक असल रेस्पो0 का बहस में कथन है कि उपरोक्त विवादित आराजीयात पर शामलात में मौके काबिज होकर काश्तकारी करते चले आ रहे हैं। उपरोक्त वर्णित आराजी का विधि सम्मत बंटवारा किसी प्रकार का नही हुआ था। जिन आराजीयात के पुश्तैनी/मौरूसी आराजीयात होने से उपरोक्त आराजीयात के प्रत्येक इंच पर रेस्पो0 संख्या 1 सपना के पति व रेस्पो0 संख्या 2 व 3 के पिता श्री मनीष कुमार सोमवंशी का देहान्त हो जाने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार श्री मनीष के विधिक वारिसान होने से नोशनल शेयर व अपीलांटान का बराबर–बराबर हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विक्रय की गई आराजी खसरा नंबर 420 रकबा 0.30 है0, 421 रकबा 0.09 है0, 422 रकबा 0.14 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.53 है0 का बेचान रेस्पो0 के नोशनल हिस्से की हद तक शून्य प्रभावी करार देना न्यायसंगत है क्योंकि अपीलांट को रेस्पो0 से उपरोक्त आराजीयात को तकसीम कराये बिना किसी दीगर व्यक्ति को रहन बय हिबे बगैरा के जर्ये मुन्तकिल करने की बाबत् कोई हक व अधिकार नही है। इसलिए तहत न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है और अपील अपीलांट खारिज की जावें । उन्होंने अपने समर्थन में आर.बी. जे(19) 2012 पेज 213, डी.एन.जे 2013(एस.सी) 627 नजीरें पेश की।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.07.2015 का अवलोकन किया तथा पेश कानूनी नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया ।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा पेश दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नही होते क्यों कि पेश की गई कानूनी नजीरों के तथ्य, अपील के तथ्यों से अलग हैं साथ ही विवादित आराजी परस्पर भाइयों की अर्जित आराजी नही है। असल रेस्पो0 संख्या 02 व 03 श्री मनीष के पुत्र/पुत्री एवं अपीलांट श्री श्यामलाल के पौत्र/पौत्री हैं।आराजी पिता/दादा की आराजी है जिसमें पौत्र का हक निहित है। यद्यपि हक का निर्धारण वाद के निर्णय उपरान्त ही हो सकेगा परन्तु विवादित आराजीयात में वादों की बहुलता को रोकने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जो तहत अदालत द्वारा जारी की गई है वह विधिसम्मत है। इसलिए अपील अपीलांट उक्त विवेचन के आधार पर काबिल खारिज के है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय दिनांक 31.07.2015 को यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29.11.2019

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)